संख्या: 432/2023/2194/001-41-2023-69-SA-2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 19 मई, 2023**

विषय:- जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में आवश्यक पर्यटन सुविधाओं की स्थापना हेतु भूमि क्रय की अवशेष स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विष्यक अपने पत्र सं0-411/6-1-1(1278)/2020-21 दिनांक 26.04.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में आवश्यक पर्यटन सुविधाओं की स्थापना हेतु ग्राम बर्डपुर , नं0-1, टोला पिपरहवा, टप्पा-घोष (नौगढ़) परगना व तहसील नौगढ़ के कुल 26 गाटों की 13.317 हे0 अथवा 33 एकड़ भूमि क्रय हेतु जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0	वित्तीय वर्ष	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति	अवमुक्त धनराशि
1	2021-22	सं0-224/2022/आई/152192/41-1002(001)/121 /2021/69(सा0)/2021, दिनांक 31.03.2022	रू0 5320.46 लाख (रू0 तिरपन करोड़ बीस लाख छियालीस हजार मात्र)	रू0 200.00 लाख
2	2022-23	सं0-298/2022/1428/41-2022-41-1002-001-121-2021-69-SA-2021, दिनांक 23.05.2022		रू0 300.00 लाख
3	2022-23	सं0-624/2022/5711/002-41-1002-001-121-2021-69-SA-2021, दिनांक 29.12.2022		रू0 2900.00 लाख
4	2022-23	सं0-150//2023/1139/003-41-2022-41-1002-001-121-2021-69-SA-2021 दिनांक 02.03.2023		रू0 56,42,460.00

3- तद्क्रम में पर्यटन निदेशालय के सन्दर्भगत पत्र दिनांक 26.04.2023 द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में आवश्यक पर्यटन सुविधाओं की स्थापना हेतु ग्राम बर्डपुर , नं0-1, टोला पिपरहवा, टप्पा-घोष (नौगढ़) परगना व तहसील नौगढ़ के अवशेष भूमि को क्रय किये जाने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति रू0 53,20,46,000.00 के सापेक्ष अब तक रू0 34,56,42,460.00 (रूपये चौतीस करोड़ छप्पन लाख बयालीस हजार चार सौ साठ मात्र) निर्गत की जा चुकी है। उक्त परियोजना हेतु धनराशि रू0 18,64,03,540.00 अवशेष बचती है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवशेष धनराशि रू0 18,64,03,540.00 (रू0 अठारह करोड़ चौसठ लाख तीन हजार पांच सौ चालीस मात्र) को व्यय किये जाने हेतु जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 31.03.2022, दिनांक 23.05.2022, दिनांक 29.12.2022 एवं दिनांक 02.03.2023 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है। परियोजना हेतु पंजीयन शुल्क एवं लिपकीय व्यय के रूप में धनराशि मांगे जाने की स्थिति में निदेशालय द्वारा संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक),अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(4) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के संबंध में सक्षम स्तर से प्रमाणिक प्रपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(9) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(11) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 18,64,03,540 (रू0 अठारह करोड़ चौसठ लाख तीन हजार पांच सौ चालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 5452801044500 विभिन्न पर्यटन स्थलों हेतु भूमि का क्रय मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नंलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
5. उप जिलाधिकारी, नौगढ़।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक, पर्यटन उ0प्र0, लखनऊ।
8. श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
10. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, बस्ती मण्डल, सिद्धार्थनगर।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
13. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।